भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-561

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

झारखंड में एन टी पी सी द्वारा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध

561. श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि झारखंड के चिराढीह में एन टी पी सी लि. द्वारा जमीन का अधिग्रहण करने के खिलाफ विरोध करते समय कई लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग जख्मी हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान इस भूमि संबंधी विवाद के कारण मारे गए/जख्मी हुए लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एन टी पी सी लि. द्वारा मृत लोगों के परिवार के सदस्यों और जख्मी लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनटीपीसी ने पकरी-बरवाडीह खान में निजी भूमि के परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को, झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों पर भूमि के लिए मुआवजे और आरएण्डआर लाभों का संवितरण किया है। तत्पश्चात्, राज्य सरकार के परामर्श के अनुसार, भूमि के मुआवजे को दो बार बढ़ाया गया है।

एनटीपीसी ने यह सूचित किया है कि दिनांक 01.10.2016 को चिरुडीह क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरोध के दौरान, बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस वाहन रोक दिया तथा पथराव शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हवाई फायर, आंसू गैस आदि जैसे निवारात्मक कदम उठाए, परंतु भीड़ नियंत्रित नहीं की जा सकी तथा इससे परिमंडल अधिकारी (सीओ) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसी स्थिति में, विरोध करने वालों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई और कुछ ग्रामीण घायल हुए।

(ग) : एनटीपीसी ने यह सूचित किया है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 2 लाख रुपये तथा घायल के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा घोषित किया है। एनटीपीसी ने भी प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 7 लाख रुपये के मुआवजे का प्रस्ताव रखा है।

****